कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
ट्रान्सपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून

पत्रांक 135 /नि0अनु0/भवन उपविधि/2016 दिनांक 18-6-16

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 837/V–2–2016–127(आ0)/15–टी0सी0 दिनांक 03.6.2016 द्वारा उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–5 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड के विनियमित क्षेत्रों हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011(संशोधन 2015) प्रख्यापित किये जाने की स्वीकृति अधिसूचना संख्या 2015/V/आ0–2015–55(आ0)/2006–टी0सी0 दिनांक 08.12.2015 द्वारा प्रदान की गयी है ।

उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार भारत सरकार के Ease of Doing Business कार्यक्रम के तहत मानचित्र स्वीकृति का सरलीकरण, वास्तुविद, अभियन्ता के पंजीकरण की व्यवस्था, तृतीय पक्ष के द्वारा निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण कराने, पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर को अधिकृत करने एवं मानचित्र स्वीकृति से पूर्व संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित संलग्न प्राविधानानुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2012 (संशोधन 2015) में संशोधनों को लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति/सहमति प्रदान की गयी है ।

उपरोक्तानुसार आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

उपाध्यक्ष
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, म0दे0वि0प्रा0 देहरादून ।
2. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, म0दे0वि0प्रा0 देहरादून ।
3. संयुक्त सचिव/अनु सचिव म0दे0वि0प्रा0 देहरादून ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, नगर नियोजक, समस्त सहायक अभियन्ता, समस्त अवर अभियन्ता, म0दे0वि0प्रा0 देहरादून ।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, म0दे0वि0प्रा0 देहरादून ।
6. पी0एम0यू0सेल, म0दे0वि0प्रा0 देहरादून ।
7. कार्यालय अधीक्षक को गार्ड पत्रावली हेतु ।
8. समस्त सम्बन्धित लिपिकों को आ0का0 हेतु ।

उपाध्यक्ष
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।